

नकल हेतु आवश्यक मार्गदर्शन

1. नकल हेतु साधारण दर रुपये 20/- प्रति पेज, एवं अर्जेंट 40/- प्रति पृष्ठ के हिसाब से चालान मद क्रमांक 9 के अनुसार चालान दस्तावेज की मूलप्रति जमा करना आवश्यक है।
2. प्रति दस्तावेज के नकल हेतु रुपये 10/- का स्टाम्प पेपर कोरा जमा करना आवश्यक है।
3. रुपये 5/- का कोर्ट फी टिकट आवेदन पत्र के ऊपर चस्पा करना चाहिए।
4. आवेदन पत्र में संस्था का नाम, पता, पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक तथा आवेदनकर्ता का पूर्ण पता एवं हस्ताक्षर होना आवश्यक है।

बैंक चालान गुम हो जाने की स्थिति में जारीकर्ता शाखा से निम्नानुसार प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जावे :-

State Bank of India
Specialised Govt. Business Br. Raipur (13105)

CERTIFICATE IN LIEU OF LOST/MISPLACED CHALLAN

Certified that a sum of Rs.....(Rupees.....)

for credit to the State Government account under the Head. The amount has been included in the Scroll dated.....at Serial No.....

Place : Specialised Govt. Business Br. Raipur (13105)

Date :

Branch Manager
